	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.3.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। प्रार्थना पत्र तह मे बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र में पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पुष्ट की जाती है। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां की भूमि ख.सं. 10/1453 (8-00) भूमि पर प्रार्थी को शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त एवं हक अधिकार में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना करें, न ऐसा किसी अन्य से करवायें। पत्रावली मे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:36:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner